



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-705/757

रायपुर, दिनांक 12/03/2018

प्रति,

वन मंडलाधिकारी

कोरिया वन मंडल, कोरिया

छत्तीसगढ़

**विषय: — Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for
Amarpur to Chirimiri Road Widening & Upgrading area 10.469 ha.-regarding**

पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD / 8090 / 2014

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि/ न. क्र.-89/ 2018 / 392 दिनांक 27.02.2018

= 0 =

संदर्भित पत्र के माध्यम से अमरपुर-चिरमिरी मार्ग लंबाई 16.00 कि.मी के चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु प्रस्तावित वन भूमि 10.352 हे. एवं राजस्व वन (छोटे बड़े झाड़ मद) की भूमि 0.117 हे. कुल 10.469 हे. का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत ब्यपवर्तन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कक्ष क्रमांक आर.एफ 653 क्षेत्र रकबा 7.884 हे. के एवं कक्ष क्रमांक पी. एफ 13.054 हे. चयनित किया गया है जो मान्य योग्य नहीं है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व वन भूमि/निजी भूमि चयनित कर प्रेषित करें ताकि प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

इसी प्रकार आवेदित क्षेत्र में Form A Part II के कालम नं. - 4 (ii) में ऑन लाईन विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या 464 दर्ज है जबकि प्रस्ताव में कुल विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या 562 दर्शाया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।

(मुख्य वन संरक्षक)

वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं.स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-705/758
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर छत्तीसगढ़।
2. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कोरिया, बैकुण्ठपुर। कलेक्टर कार्यालय से वन अधिकार संबंधी कलेक्टर का प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड करावे।

(मुख्य वन संरक्षक)

वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं.स. अ)

01C/अ
छत्तीसगढ़